

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -900 / 2022

अनवान : -

1. सुभाष पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. विमला पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
3. शर्मिला पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
4. सुनीता कुमारी पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र अधिवक्ता वादी

श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 20/5/28

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी एवं प्रतिवादीगण दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 11 एनटीआर -बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 179/26 कि कुल 6.1985 है0 भूमि व रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 182/12 की कुल 4.0490 है0 भूमि व रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 579/31 की कुल 2.5300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी हैबाद हक त्याग वादी व व प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 11 एनटीआर -बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 179/26 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 6.1985 है0 भूमि पर वादी काबिज है व रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 182/12 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 4.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



0490 है0 भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ब0 हि0 ब0 काबिज है व रोही मौजा 7 बरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 579/31 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब इकबाल पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी स0 5 परोकार राज द्वारा जवाब पेश जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने पुरानी व नयी जमाबंदी तथा सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 एनटीआर -बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 179/26 कि कुल 6.1985 है0 भूमि व रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 182/12 की कुल 4.0490 है0 भूमि व रोही मौजा 7 बरानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 579/31 की कुल 2.5300 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 एनटीआर -बी

28

तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 179/26 कि कुल 6.1985 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 182/12 की कुल 4.0490 है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-बरवाली

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -900/2022

अनवान : -

1. सुभाष पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।

- वादी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
2. विमला पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
3. शर्मिला पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
4. सुनीता कुमारी पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 900 सन 2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 एनटीआर -बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 179/26 कि कुल 6.1985 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 182/12 की कुल 4.0490 है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-बरवाली